

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, February 19, 2025**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments executed for sanctioning loan under the Rajasthan Cooperative Gopal Credit Card Loan Scheme shall be remitted.

[No. F.4(2)FD/Tax/2025-108]

By order of the Governor,



(Dr. Khushaal Yadav)


Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, फरवरी 19, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण स्कीम के अधीन ऋण मंजूर किये जाने के लिए निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2025-108]

राज्यपाल के आदेश से,

  
(डॉ. खुशाल यादव)  
संयुक्त शासन सचिव